

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹. 15000

पन्द्रह हजार रुपये

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

Rs. 15000



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

991388

202

स्टाम्प ड्यूटी रुपये 79,125-00
पंचायत ड्यूटी रुपये 15,825-00
अधिक स्टाम्प रुपये 50-00

रुपये 15,82,500-00 अक्षरी
रुपये पंद्रह लाख बयासी हजार पांच सौ
मात्र ।

कुल स्टाम्प रुपये 95,000-00

॥ श्री ॥

!! विक्रय-पत्र !!

Flat No-201

कँवलजीतसिंह भाटिया एच.यु.एफ. तर्फे कर्ता
श्री कँवलजीतसिंह पिता श्री अमरजीतसिंह भाटिया
निवासी 19-ए, प्रेम नगर, इंदौर म0प्र0

-विक्रेतापक्ष

- (1) श्री गुरजीतसिंह भाटिया पिता श्री अमरीकसिंह भाटिया
 - (2) श्रीमती गुनीतकौर भाटिया पति श्री गुरजीतसिंह भाटिया
- दोनों निवासी 414, विष्णुपुरी एनेक्स, इंदौर म0प्र0

- क्रेतापक्ष

प्रतिफल की सम्पूर्ण धनराशि प्राप्त कर विक्रेतापक्ष यह विक्रय-पत्र क्रेतापक्ष के हित में (विक्रेतापक्ष एवं क्रेतापक्ष को आगे विक्रेता एवं क्रेता के नाम से संबोधित किया गया है, विक्रेता एवं क्रेता के इस संबोधन में विक्रेता एवं क्रेता स्वयं उनके वारसान, उत्तराधिकारी, वैध प्रतिनिधि, असायनीज, हितबंध आदि सम्मिलित है) निम्नानुसार लिख देते है कि :-

अविरत...2.

Shakti
Atal

Shakti

Guneek

0-6592
14 NOV 2012

$\frac{15000}{3} + \frac{5000}{10} = 95000$

~~यहना HUF नका नाम अमरजीव
येना अमरजीव नामिया 19A धनसाल 2008
एन. नुसलानादि नका अमरजीव नामिया
नाम ए नाम विभागादर एनाम एनाम~~



अमरजीव
SM

मुद्रा	79125-
बैंक चार्ज	15825-
अतिरिक्त	50-
कुल	<u>95000/-</u>

उप-पंजीयक
उप-जिला, इन्दौर - 2




अमरजीव

युसुलत एडे ना अमरजीव

के द्वारा उप जिला इन्दौर = 2,
जिला इन्दौर के उप पंजीयक के
कार्यालय में तारीख: 26 DEC 2012
को न.पं/स.प. 3/30
प्रस्तुत किया गया।

उप-पंजीयक
उप-जिला, इन्दौर - 2

101
2015-22
स्वीडन दस्तावेज वगैरह
मुकाम 28

 <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">₹ 1500</p> <p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">पन्द्रह हजार</p>	<p>दस्तावेज की तफसीलवारी व कीमत या दस्तखत की तारीख या किस्म जो मुहरबन्द लिफाफा लिया गया हो जिसके बावत फीस दाखिल हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इवारत</p>	<p>तादाद फीस (अगर हो तो) दाखिल शुदा</p>	<p>रजिस्ट्री के ओहदेदार के छोटे दस्तखत</p>
	गुजौर पिट्टे	3	4
	क्रिडी 1582500	12830	
तारीख	26 DEC 2012	उप-पंजीयक	

मध्य प्रदेश MADHYA PR.

992549

-- 2 --

(1) यह कि, विक्रेता के स्वामित्व एवं आधिपत्य का भूखंड ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम लिम्बोदी तहसील व जिला इंदौर (सर्वे नंबर 7/5/4 पर स्थित) स्थित रानीबाग मेन यहा स्थित भूखंड क्रमांक 211 है । सदर भूखंड विक्रेता ने श्री महेश कुमार पिता स्व. श्री रामचंद्रजी से रजि. विक्रय-पत्र क्रमांक 13/1707(16) दिनांक 19-10-2011 के जरिये क्रय किया है । सदर भूखंड की साईज पूर्व सिरा 109 फीट, पश्चिम सिरा 91 फीट, उत्तर सिरा 50 फीट, दक्षिण सिरा 53 फीट 4 इंच होकर कुल क्षेत्रफल 5000 वर्गफीट अर्थात 464.68 वर्गमीटर है । सदर भूखंड की चतुःसीमा निम्नानुसार है :-

पूर्व में	:	भू-भाग क्रमांक 212
पश्चिम में	:	भू-भाग क्रमांक 210
उत्तर में	:	भू-भाग क्रमांक 215
दक्षिण में	:	सड़क

(2) यह कि, सदर भूखंड पर बहुमंजिले भवन के निर्माण हेतु ग्राम पंचायत, से नक्शा स्वीकृत (भवन अनुज्ञा-पत्र क्रमांक 4/68 दिनांक 13-03-2010) हैं, तथा विक्रेता द्वारा बहुमंजिले भवन "सिमरन आर्केड" का निर्माण किया है ।

अविरत...3.

Shankar
H. Lal

Shankar

Goneek

24 कुलकर्णी सिंहे भारिया H.O.F. तर्फे कर्ता
 1 लक्ष सिंहे भवा अमरजीत सिंहे भारिया

- 19-A मजमनगर, इंदौर

21 कुलकर्णी सिंहे भवा अमरजीत सिंहे भारिया
 - मनीषी कुलकर्णी पति कुलकर्णी सिंहे भारिया

- 414 विष्णुपुरी, इंदौर



जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ

स्वीकार किया मैंने कि तथ्यांकित
 किया गया है कि...
 रु. 15,82,500/-

पैसे तथ्यांकित वर्या... हजार पांच सौ मात्र

शब्दों में...
 चुकाये गये...
 बकाया...
 बच गई है जो... के बाद प्राप्त होगी। आज तारीख

1 अमरजीत सिंहे भारिया भवा
 110 वानीबाग, इंदौर

2 कुलकर्णी सिंहे भवा अमरजीत सिंहे
 119 वानीबाग, इंदौर

की जाँच पूर्वोक्त मिश्रावरक/निष्पादकों
 की शिकायत...
 26 DEC 2012

जयपुर
 ...

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹
15000

पन्द्रह हजार रुपये



FIFTEEN
THOUSAND RUPEES

Rs.
15000

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

992550

— 3 —

(3) यह कि, विक्रेता ने उक्त बहुमंजिले भवन "सिमरन आर्कड" पैकी द्वितीय मंजिल के प्रकोष्ठ क्रमांक 201 को इस लेख में निम्नलिखित शर्तों पर क्रेता को बिक्री कर दिया है ।

(4) बिक्री किये गये प्रकोष्ठ का वर्णन व चतुःसीमा निम्नानुसार है :-

प्रकोष्ठ ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम लिम्बोदी तहसील व जिला इंदौर (सर्वे नंबर 7/5/4 पर स्थित) रानीबाग मेन यहा स्थित भूखंड क्रमांक 211 पर निर्मित बहुमंजिला भवन "सिमरन आर्कड" पैकी द्वितीय मंजिल का प्रकोष्ठ क्रमांक 201 हैं । सदर प्रकोष्ठ का सुपर बिल्टप एरिया 1135 वर्गफीट अर्थात 105.48 वर्गमीटर है । सदर प्रकोष्ठ के निकास की व्यवस्था भवन के कॉमन पैसेज व चढ़ाव से होकर सामने की ओर स्थित सड़क से रहेगी । सदर प्रकोष्ठ वर्तमान में अपूर्ण निर्मित हैं । सदर प्रकोष्ठ आवासीय क्षेत्र में स्थित होकर आवासीय उपयोग का हैं । सदर प्रकोष्ठ की पार्टेशनवाल सामलाती उपयोग व उपभोग की है तथा छत के अधिकार इस विक्रय में सम्मिलित नहीं है । सदर प्रकोष्ठ की चतुःसीमा निम्नानुसार हैं :-

पूर्व में	:	भू-भाग क्रमांक 212
पश्चिम में	:	प्रकोष्ठ क्रमांक 202
उत्तर में	:	लॉबी
दक्षिण में	:	सड़क

अविरत...4.


J. Shankar
Holok

Shankar

Guneet

29 NOV 2012

Histab



Histab

निष्पादक
गुरुजी/रवि

26 DEC 2012

का मिला
को किया गया।

[Signature]

विश्व कौशल विकास

@Blutia



निष्पादक
गुरुजी/रवि अभिकर्ता

26 DEC 2012

का मिला
को किया गया।

उप प्रजियक
राष्ट्र-जिला, इन्दौर - 2

Gurjeet




Gu

निष्पादक
गुरुजी/रवि अभिकर्ता

26 DEC 2012

का मिला
को किया गया।

उप प्रजियक



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

1 1 2 3

F 725643

4

(5) यह कि, उपरोक्त वर्णन एवं चतुःसीमा के बीच का प्रकोष्ठ सब बंधा व खुला आगे से पीछे, अंदर से अंदर तक विक्रेता ने क्रेता को मालकी हक्क सहित कुल कीमत रूपये 15,82,500-00 अक्षरी रूपये पंद्रह लाख बयासी हजार पांच सौ मात्र में विक्रय कर दिया होकर विक्रय प्रतिफल की संपूर्ण धनराशि विक्रेता ने क्रेता से निम्नानुसार प्राप्त कर ली है :-

रु. 1,00,000-00 अक्षरी रूपये एक लाख युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा विष्णुपुरी, इंदौर के चेक क्रमांक 005325 दिनांक 26-11-2012 के जरिये ।
रु. 1,00,000-00 अक्षरी रूपये एक लाख युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा विष्णुपुरी, इंदौर के चेक क्रमांक 218206 दिनांक 26-11-2012 के जरिये ।
रु. 5,82,500-00 अक्षरी रूपये पांच लाख बयासी हजार पांच सौ युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा विष्णुपुरी, इंदौर के चेक क्रमांक 005326 दिनांक 26-11-2012 के जरिये ।
रु. 8,00,000-00 अक्षरी रूपये आठ लाख एकसीस बैंक शाखा सपना-संगीता रोड़, इंदौर के चेक क्रमांक 298923 दिनांक 24-11-2012 के जरिये ।

रु. 15,82,500-00 अक्षरी रूपये पंद्रह लाख बयासी हजार पांच सौ मात्र ।

उपरोक्तानुसार विक्रेता ने क्रेता से प्रतिफल की संपूर्ण धनराशि प्राप्त कर ली है । अब इस विक्रय व्यवहार बाबद विक्रेता का क्रेता से कुछ भी लेना शेष रहा नहीं है ।

अविरत...5.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

383

12 9 NOV 2012

पथम पत्र

29 NOV 2012
2
पं. कानून बिल्डिंग

Amadeep



Amadeep

निष्पादक / पालक अधिकारी
2099/4 A/E के अंगूठे
का बिलान में ... 26 DEC 2012
को किया गया


उप-जिला, इन्दौर - 2

Handwritten signature



निष्पादक / पालक अधिकारी
2099/4 A/E के अंगूठे
का बिलान में ... 26 DEC 2012
को किया गया

उप-जिला, इन्दौर - 2



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

F 725644

5

(6) यह कि, बिक्री किये गये उक्त प्रकोष्ठ को आगे सुविधा की दृष्टि से संपत्ति शब्द से संबोधित किया गया है ।

(7) यह कि, उक्त रजिस्ट्री कँवलजीतसिंह भाटिया एच.यु.एफ. तर्फे कर्ता श्री कँवलजीतसिंह भाटिया पिता श्री अमरजीतसिंह भाटिया द्वारा की गई हैं तथा उक्त संपत्ति के विक्रय से प्राप्त संपूर्ण धनराशि श्री कँवलजीतसिंह भाटिया द्वारा कँवलजीतसिंह भाटिया एच.यु.एफ. के हिसाब में ही संरक्षित एवं व्यय की जावेगी ।

(8) यह कि, बिक्री की गई संपत्ति का रिक्त अवस्था में कब्जा विक्रेता द्वारा क्रेता को मय असल दस्तावेजों की फोटोकॉपी सहित सौंप दिया गया है ।

अविरत...6.

Devi's
Arora

Arora

Guneek

SDM

129 NOV 2012


ADN 6

PK

26 DEC 2012

2075

19



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

F 725645

— 6 —

(9) यह कि, क्रेता ने उक्त निर्मित भवन में क्रय की गयी संपत्ति को स्वयं भली प्रकार देख कर सभी दस्तावेजों का अवलोकन कर तथा इस विक्रय पत्र में लिखी शर्तों का पालन करने की शर्त पर उक्त संपत्ति क्रय की है ।


(10) यह कि, बिक्री की गई संपत्ति के सबसे उपर की छत इस विक्रय में शामिल नहीं है तथा इस बहुमंजिले भवन के सबसे उपर की छत के मालिक विक्रेता ही रहेंगे तथा यदि भविष्य में निर्माण की अनुमति प्राप्त होती है तो विक्रेता निर्माण के लिये स्वतंत्र रहेंगे इस बाबद किसी भी संपत्ति होल्डर्स की आपत्ति मान्य नहीं होगी । यदि किसी कम्पनी का कोई टॉवर, डीश एंटीना विक्रेता लगाते हैं तो क्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी ।

(11) यह कि, सदर संपत्ति विक्रेता ने क्रेता को बिक्री कर देने से सदर संपत्ति के जो जो हक्क विक्रेता को थे, वह सब हक्क रद्द होकर क्रेता को इस विक्रय पत्र के द्वारा सदर संपत्ति के मालकी के पूर्ण हक्क प्राप्त हो गये हैं अब क्रेता ने सदर संपत्ति पर अपनी मालकी करके इसका उपयोग व उपभोग अपनी इच्छानुसार हमेशा लेते जाना इसमें विक्रेता की किसी भी प्रकार की हरकत या आपत्ति रहेगी नहीं ।

अविरत...7.

Shah
Shah

Guneet



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

F 725649

::- 7 -::

(12) यह कि, सदर संपत्ति विक्रेता ने क्रेता के सिवाय दीगर जगह गिरवी या बिक्री की हुई नहीं है और ना ही कोई दान या बक्षिस में दी है। सदर संपत्ति पर किसी का डिक्री, चार्ज, मेन्टेनेंस, कर्ज का या जमानत का तथा अन्य किसी भी प्रकार का हक्क, संबंध, भार अथवा बोझा नहीं है। सदर संपत्ति हर प्रकार के भार व व बोझ से मुक्त है। सदर संपत्ति विक्रेता के मालकी का होकर सदर संपत्ति क्रेता को बिक्री करने का विक्रेता को पूर्ण अधिकार है।

(13) यह कि, क्रेता को सदर भवन के कामन, पैसेज चढ़ाव, पार्किंग स्थल, बोरिंग, लिफ्ट उपकरणों यंत्रों आदि के उपयोग व उपभोग का अधिकार इस बहुमंजिले भवन के अन्य संपत्ति होल्डर्स के साथ संयुक्त रूप से रहेगा। क्रेता के द्वारा उक्त सुविधाओं पर ऐसा कोई भी अतिक्रमण अथवा व्यवधान नहीं किया जावेगा, जिससे कि इस भवन के अन्य संपत्ति होल्डर्स को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा हो व उनके अधिकारों को बाधा उत्पन्न होती है।


(14) यह कि, क्रेता उक्त संपत्ति का निर्माण पूरा होने के बाद अन्य सभी संपत्ति होल्डर्स के साथ अपनी एक उपसमिति बनावेंगे ताकि इस उपसमिति के माध्यम से सम्पूर्ण के संपत्ति की देखरेख की जा सके, बहुमंजिले भवन की कामन सुविधाओं व स्थानों के रखरखाव, दुरुस्ती इत्यादि में जो भी खर्चा होगा उसमें क्रेता को अपना आनुपातिक हिस्सा नियमानुसार देय होगा।

अविरत...8.

J. K. Singh
20/10/20

Sharma

Guneek



● मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

F 725650

:- 8 -:

(15) यह कि, क्रेता इस बिक्री की गई संपत्ति में ऐसे कोई भी नवीन कार्य दुरुस्ती तोडफोड इत्यादि नहीं करेगा, जिससे कि इस बहुमंजिले भवन की मूल रचना तथा अन्य संपत्ति होल्डर्स के संपत्ति को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचे ।

(16) यह कि, क्रेता उक्त बिक्री की गई संपत्ति के लिये नैसर्गिक दुर्घटना व आग आदि से सुरक्षा के लिए अपने व्यय से बीमा करवा सकेगा । भवन जमींदोज होने की दशा में क्रेता को निश्चित क्षेत्रफल तथा बिक्रीत स्थान पर निर्माण का अधिकार प्रचलित नियमानुसार रहेगा ।

(17) यह कि, बिक्री की गई संपत्ति का उपयोग व उपभोग क्रेता अपनी इच्छानुसार कर सकेगा एवं सदर संपत्ति सम्बन्धी लगने वाले समस्त टेक्सेस, संपत्ति कर, नल-बिजली व्यय व मेन्टेनेंस सोसायटी का आनुपातिक व्यय आदि आज दिनांक से क्रेता वहन करते जावेंगे ।


अविरत...9.

Blata

Shah

Shah

Guneet



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

F 725651

::- 9 -::

(18) यह कि, शासन, नगर पालिक निगम, शासकीय या अर्द्धशासकीय संस्थाओं द्वारा जो नियम प्रचलित हैं या भविष्य में नये नियम बनेंगे उन सभी नियमों का पालन क्रेता को करना होगा तथा शासन द्वारा लगाया गया कोई भी भार या अधिभार हुआ तो वह सभी ओनर्स को सामूहिक रूप से आनुपातिक रूप से वहन करना पड़ेगा। इस बाबद विक्रेता का कोई उत्तरदायित्व नहीं रहेगा।

(19) यह कि, क्रेता को सदर संपत्ति में विद्युत कनेक्शन स्वयं मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल में डिपॉजिट राशि एवं अन्य जो भी व्यय आवश्यक होंगे (जैसे पेनल बोर्ड, ट्रांसफार्मर, कैबल, पाईप आदि का व्यय) अदा कर विद्युत कनेक्शन अपने नाम से प्राप्त करना होगा और परमानेंट कनेक्शन प्राप्त होने तक जो अस्थायी विद्युत कनेक्शन का बिल आवेगा उसे विक्रेता को क्रेता अन्य समस्त संपत्ति ओनर्स की भांति अदा करेंगे।


(20) यह कि, क्रेता को सभी ओनर्स के साथ मिलकर एक मेन्टेनेंस सोसायटी का निर्माण करना होगा और मेन्टेनेंस सोसायटी द्वारा निर्धारित आवश्यक व्यवस्था शुल्क (मेन्टेनेंस राशि) नियमित रूप से क्रेता उक्त सोसायटी के यहां जमा करवाते रहेंगे।

अविरत...10.

D. S. Singh
to take

Chaitin

Guneesh



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

F 725652

:- 10 -:

(21) यह कि, सदर संपत्ति पर क्रेता इस विक्रय-लेख के जरिये समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय व स्थानीय कार्यालयों में अपना नामांतरण करवा लेवेंगे। इस कार्यवाही में विक्रेता के हस्ताक्षर अथवा बयान आदि की जो भी आवश्यकता लगेगी वह समस्त सहयोग विक्रेता, क्रेता को प्रदान करेंगे।

(22) यह कि, सदर संपत्ति क्रेता ऋण प्राप्ति हेतु किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्था आदि में बंधक रखा सकेंगे। इस हेतु विक्रेता का कोई उजर नहीं रहेगा।

(23) यह कि, क्रेता सदर संपत्ति में अवैध, विस्फोटक व दुर्गन्धयुक्त वस्तु संग्रहित नहीं कर सकेंगे तथा न ही सदर संपत्ति में अवैध गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी। क्रेता सदर संपत्ति में ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकेंगे जिससे सदर भवन की शोभा को कोई क्षति पहुंचती हो।


अविरत...11.

Blahy

Jshahis

Guneet

toke



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

F 725655

संलग्न स्टाम्प

कँवलजीतसिंह भाटिया एच.यु.एफ. तर्फे कर्ता
श्री कँवलजीतसिंह पिता श्री अमरजीतसिंह भाटिया
निवासी 19-ए, प्रेम नगर, इंदौर म0प्र0

- विक्रेतापक्ष

(1) श्री गुरजीतसिंह भाटिया पिता श्री अमरीकसिंह भाटिया
(2) श्रीमती गुनीतकौर भाटिया पति श्री गुरजीतसिंह भाटिया
दोनों निवासी 4, विष्णुपुरी एनेक्स, इंदौर म0प्र0

- क्रेतापक्ष

इति, इंदौर

Pratish

Guneesh

Hishab

J. J. h. 1

659

29 NOV 2012

पथम पत्र के माध्य म सलम्ब

विद्या कोषाध्यक्ष कार्यालय
29/11/12
उप-पंजीयक कार्यालय

26 DEC 2012

आज ता. 26 दिसम्बर सन् 2012

को पुरस्कार *डी*

ग्रन्थ 174 12 पृष्ठ

47-58 का क्रमांक 2075










देकर पंजीबद्ध

उप-पंजीयक
उप-जिला, इन्दौर-2



मुद्रांक शुल्क
पंजीयन शुल्क 1280/-
पृष्ठांकन शुल्क 25/-
वर्षा शुल्क
योग 12830/-

उप-पंजीयक
उप-जिला, इन्दौर



PROP. PLAN FOR P.NO.-211
 MAIN BAG MAIN NO. 27/5/4
 GRAM UNLONE, DIST. INDGORE
 OWNER:
 SHRI HANESH KUMAR S/O RAMCHANDRA N
 STATEMENT OF AREA:
 TOTAL PLOT AREA - 24000 SQR.
 PROP. BY IN AN CORNER FORM - 24000 SQR.
 PROP. BY IN FIRST FLOOR - 12000 SQR.
 PROP. BY IN SECOND FLOOR - 12000 SQR.
 PROP. BY IN THIRD FLOOR - 12000 SQR.
 PROP. BY IN FOURTH FLOOR - 12000 SQR.
 PROP. BY IN FIFTH FLOOR - 12000 SQR.

OWNERS SIGN

ARCHITECTS & ENGINEERS
TOTLA & ASSOCIATES
 411, CITY PLAZA
 BECAE POINT, HOORIE
 PH: 2536151, 2470 3314